न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 28/2021

सुरेश कुमार पुत्र स्व0 श्री लेखराम, जाति मेघवाल, निवासी बेरला तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0

– वादी

बनाम

1. इन्द्राज पुत्र स्व0 श्री लेखराम जाति मेघवाल निवासी बेरला तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
2. दलीप पुत्र स्व0 श्री लेखराम जाति मेघवाल निवासी बेरला तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
3. धर्मवीर पुत्र स्व0 श्री लेखराम जाति मेघवाल निवासी बेरला तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
4. राजकुमार पुत्र स्व0 श्री लेखराम जाति मेघवाल निवासी बेरला तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
5. राजेश पुत्र स्व0 श्री लेखराम जाति मेघवाल निवासी बेरला तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0।
6. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

:: निर्णय ::

दिनांक – 08.11.2021

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि–

(क) यह कि कृषि भूमि खसरा न0 216 रकबा 0.05 है0, खसरा न0 55 रकबा 4.36 है0, खसरा न0 58 रकबा 2.62 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 7.03 है0 स्थित मौजा बेरला तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं राज0 का वादी को उनके उक्त पैतृक हिस्सा 1/6 का अलग से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी के उक्त 1/6 हिस्से की भूमि का अलग राजस्व रिकार्ड बनाया जावे तथा पर्चा लगान भी वादी का अलग से कायम किया जावे।

(ख) यह कि वाद पत्र की धारा न0 1 में वर्णित उक्त कृषि भूमि का वादी व प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 5 के मध्य मौका कब्जे रिकार्ड व रास्ता का प्रावधान रखते हुए बाई मीट्स व बाई बाउण्डस के आधार पर विभाजन

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Scanned with CamScanner

किया जाकर वादी के कब्जे शुदा हिस्से 1/6 को वादी का घोषित किया जाकर पर्चा लगान तथा खतौनी वादी के नाम से अलग से कायम की जावे।

(ग) यह कि प्रतिवादीगण न0 1 लगायत 5 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो उक्त कृषि भूमि में वादी के 1/6 हिस्से का कब्जेशुदा कृषि भूमि के कब्जा काश्त में दखल पैदा न करें तथा उनके उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा कारित न करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तामिल जरिये सम्मन जारी की गयी। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 05 की ओर से श्री दीपक कुमार सैनी एडवोकेट ने वकालतनामा एवं इकबालिया जवाब पेश किया गया। तथा प्रतिवादी सं0 1 लगायत 05 की ओर से श्री दीपक कुमार सैनी एडवोकेट ने विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा डिकी किये जाने हेतु सहमती व्यक्त की तथा आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। वादी एवं प्रतिवादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2074–77, नक्शा ट्रेस, विभाजन प्रस्ताव एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का इकबालिया जवाब।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। वकील पक्षकारान ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार डिक्री किया जाने पर सहमति जाहिर की गई। अतः न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश::–

न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत ख0न0 216 रकबा 0.05 हैक्टर, ख0न0 55 रकबा 4.36 हैक्टर, ख0न0 58 रकबा 2.62 हैक्टर स्थित ग्राम बेरला तहसील सूरजगढ में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक को 1/6 – 1/6 बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वाद वादी डिक्री किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
पदेन उप जिला कलेक्टर सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 08.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले कोर्ट में सुनाया गया।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
पदेन उप जिला कलेक्टर सूरजगढ़

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद संख्या:– 28/2021
सुरेश कुमार बनाम इन्द्राज आदि
निर्णय दिनांक:– 08.11.2021.

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– दीपांशु सांगवान, (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं.– 28/2021

निर्णय दिनांक :– **08-11-2021**

सुरेश कुमार **बनाम** इन्द्राज आदि

दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से **श्री मदन सिंह राठौड़** व प्रतिवादी सं. 01 लगायत 05 की ओर से **श्री दिपक कुमार सैनी एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 08.11.2021 को **दीपांशु सांगवान, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत ख0न0 216 रकबा 0.05 हैक्टर, ख0न0 55 रकबा 4.36 हैक्टर, ख0न0 58 रकबा 2.62 हैक्टर स्थित ग्राम बेरला तहसील सूरजगढ में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक को 1/6 – 1/6 बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वाद वादी डिकी किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिकी का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **08.11.2021** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(दिपांशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
पदेन उप जिला कलेक्टर सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

Scanned with CamScanner